बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक– 11.01.25

सं0सं0–17/विविध–01–207/2024 ......49(17)...... बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एव (सशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों मे सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है–

[TB & CHEST-DEGREE]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000104	MOHAMMAD TARIQUE ANWAR	BC	UR	14-08-1990	M	BHS	GMC Bettiah
2	9240000681	MD SHAHID IQUBAL	EB	UR	05-12-1991	M	N	ANMMCH, Gaya
3	9240000270	GANGESH KUMAR GUNJAN	BC	UR	15-03-1985	M	N	JNKTMCH Madhepura
4	9240000688	AHRAZ ALI IMAM	UR	UR	18-05-1988	M	N	PMCH Patna
5	9240000694	MOHAMMAD ZAHID LABREZ	EB	UR	22-08-1990	M	N	BMIMS Pawapuri, Nalanda
6	9240000165	PRIYANKA KUMARI	EB	UR	28-01-1991	F	N	DMCH, Darbhanga
7	9240000586	KETAN JHA	UR	UR	07-10-1993	M	N	JLNMCH, Bhagalpur
[TB & CHEST-DIPLOMA]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000250	UTPAL KRISHNA	EB	UR	17-06-1985	M	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
2	9240000158	PANKAJ KUMAR	SC	UR	18-02-1982	M	BHS	GMC Purnea

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
3. EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम–11 के अन्तर्गत किया गया है।
4. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सको को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियॉ नियमानुसार की जायेगी।
6. बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग के चिकित्सकों को छोड़कर अन्य सभी बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल–9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एवं कटौतियॉ स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–22(1) दिनांक–11 01.2024 मे दिये गये दिशा–निर्देशों के तहत की जायेगी।
7. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरात वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग मे योगदान समर्पित करेगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नही कर सकेंगे।

11/01/2025

8. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा मूल शपथ–पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विरमन पत्र आदि अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेगें।

9. किसी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के स्वीकृत पद के विरूद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त संस्थान के अन्य विभाग में सीनियर रेजिडेट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद–त्याग करना चाहते हों तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।

11. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर यदि **लगातार 15 दिनों से अधिक** दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।

12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–207/2024 – 49(17) पटना/दिनाक– 11.01.25

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ सबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के संबंधित चिकित्सा संस्थानो के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 11/01/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।